फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

भैरूराम **बनाम** श्रीनारायण व अन्य

मुकदमा संख्या/वर्ष 265/2023 धारा ______ /20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	21/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। मुकदावा पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC व जवाब प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त आराजी खसरा ख०न० 10/2 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 422, 423, 424, 425, 426 कुल किता-5 कुल रकबा 1.79 हैक्टयर वाके ग्राम मानपुर भाखाला तहसील सांगानेर को वादी भैरूराम पुत्र रामदेव जाति बागड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम भाखाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने दिनांक 15/06/1966 को उप पंजीयक सांगानेर मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी सं 1 श्रीनारायण पुत्र श्री कालूराम जाति ब्राह्मण बागड़ निवासी जयपुर के हक बेचान किया गया। मुताबिक बैनामा अनुसार प्रतिवादी सं.1 नारायण के हक मे नामा० संख्या 37 दिनांक 10/6/1966 को स्वीकृत किया जाकर खातेदारी दर्ज की गई। हाल जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 वाके ग्राम मानपुर भाखाला तहसील सांगानेर के आराजी ख०न० 422/0.36, 423/0.31, 424/0.24, 425/0.06, 426/0.79 श्री नारायण पुत्र कालूराम हिस्सा पूर्ण जाति बागड़ ब्राह्मण सा० देह खातेदार दर्ज है। चूंकि वादी ने प्रतिवादी सं 1 के विरुद्ध वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। वादी ने उक्त वाद दिनांक 27/12/83 को लगभग 58 वर्ष पश्चात पेश किया। वादी ने वाद के पैरा-6 मे उक्त विक्रय पत्र दिनांक 15/6/1966 को शून्य घोषित कराने का दीवानी दावा न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम-17 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर विचाराधीन होना अंकित किया गया है। वादी ने विक्रयपत्र को निरस्त करने हेतु दावा सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है इसलिए वादी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष राजस्व न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नही है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया —लगातार	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

भैरूराम बनाम श्रीनारायण व अन्य

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

केस संख्या 265/2023 धारा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	21/6/24	जाकर वादी का वाद वाके ग्राम मानपुर भाखाला तहसील सांगानेर बाबत आराजी ख०नं० 422, 423, 424, 425 व 426 घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री प्रथक से तैयार कर पेश करें। निर्णय खुले न्यायालय मे सरेआम सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested